हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या:पी0सी0एच0–एच0ए0(1) 7/2008–45164 **शिमला–171009, दिनांक 26 मार्च, 2011**

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम, 2011 का प्रारूप, अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.–एच.ए.(1) 7/2008 तारीख 2 फरवरी, 2011 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 फरवरी, 2011 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक–4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1) 3/98, तारीख 10 अक्तूबर, 2002 द्वारा अधिसूचित और 16 नवम्बर, 2002 को राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम। 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम, 2011 है।

नियम 10 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है), के नियम 10 के उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(2) अधिनियम की धारा 99 की उप–धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, सचिव या पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत का रोकड़िया (कैशियर) होगा, जो ग्राम पंचायत के लेखों से या में धन/संदायों का प्रत्याहरण या निक्षेप करने को सक्षम होगाः

परन्तु सामग्री के क्रय के लिए प्रदायक को किए जाने वाले संदाय केवल क्रास–चैक द्वारा ही किए जाएंगे।''।

नियम 31 का संशोधन।

3. उक्त नियमों के नियम 31 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्ः—

''**31. पंचायतो द्वारा बनाए रखे जाने वाले रजिस्टर, अभिलेख, लेखा प्रणाली और प्ररूप.—** ग्राम पंचायत का, यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक, या पंचायत समिति या जिला परिषद् का सचिव, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा विहित किए गए और समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्ररूपों (फार्मेट) और संहिताओं (कोडज) के अनुसार सभी अभिलेखों, रजिस्टरों, प्ररूपों और लेखों को बनाएगा ।''।

परिशिष्ट घ का संशोधन।

4. उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट घ में क्रम संख्या 1 और 2 के स्थान पर नम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः—

''1. मूल संकर्म	(क)	ग्राम पंचायत द्वारा 1.50 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	तकनीकी सहायक
	(ख)	ग्राम पंचायत द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 5.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	कनिष्ठ अभियन्ता
	(ग)	ग्राम पंचायत द्वारा 5.00 लाख ₹ से अधिक और 10.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	सहायक अभियन्ता
	(घ)	ग्राम पंचायत द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	अधिशासी अभियन्ता
	(ङ)	पंचायत समिति द्वारा 5.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	कनिष्ठ अभियन्ता
	(च)	पंचायत समिति द्वारा 5.00 लाख ₹ से अधिक और 10.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	सहायक अभियन्ता
	(छ)	पंचायत समिति द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	अधिशासी अभियन्ता
	(ज)	जिला परिषद् द्वारा 10.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	सहायक अभियन्ता
	(झ)	जिला परिषद् द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	अधिशासी अभियन्ता

2.मरम्मत / रखरखाव	(क)	ग्राम पंचायत द्वारा 50,000 ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	तकनीकी सहायक
	(ख)	ग्राम पंचायत द्वारा 50,000 ₹ से अधिक और 1.50 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	कनिष्ठ अभियन्ता
	(ग)	ग्राम पंचायत द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 3.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	सहायक अभियन्ता
	(घ)	ग्राम पंचायत द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	अधिशासी अभियन्ता
	(ङ)	पंचायत समिति द्वारा 1.50 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	कनिष्ठ अभियन्ता
	(च)	पंचायत समिति द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 3.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	सहायक अभियन्ता
	(छ)	पंचायत समिति द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	अधिशासी अभियन्ता
	(ज)	जिला परिषद् द्वारा 3.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	सहायक अभियन्ता
	(झ)	जिला परिषद् द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	अधिशासी अभियन्ता ।'' ।

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याःपी0सी0एच0–एच0ए0(1) 7/2008–45164–268 शिमला–171009, दिनांक 26 मार्च, 2011
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ तथा मशोबरा, हिमाचल प्रदेश।
5. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA(1)7/2008-45164-268, dated 26th March, 2011 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh,
Department of Panchayati Raj.

NO. PCH-HA(1)7/2008 **Dated Shimla-171 009, the 26th March, 2011.**

Notification

Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Amendment Rules, 2011, were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 3rd February, 2011 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby vide notification No.PCH-HA(1) 7/2008, dated 2nd February, 2011 as required under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 ;

And whereas no objection or suggestion has been received in this behalf during the stipulated period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002, notified vide this Department notification number PCH-HA (1) 3/98 dated 10th October, 2002 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) on 16th November, 2002, namely:-

Short title. 1. These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Amendment Rules, 2011.

Amendment of rule 10. 2. In rule 10 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002 (hereinafter called the "said rules"), for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Subject to the provisions of sub-section (4) of section 99 of the Act, the Secretary or Panchayat Sahayak shall be the cashier of the Gram Panchayat, who shall be competent to withdraw or deposit the money/payments from or in the accounts of the Gram Panchayat:

Provided that the payments to be made to the supplier for purchase of material shall be made by crossed cheques only.".

Amendment of rule 31.

3. For rule 31 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"31. Registers, Records, Accounting system and forms to be maintained by the Panchayats: The Secretary or Panchayat Sahayak of the Gram Panchayat or Secretary of Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, shall maintain all the records, registers, forms and accounts as per formats and codes prescribed by the Comptroller and Auditor General of India and notified by the State Government from time to time.

Amendment of Appendix-D.

4. In Appendix-D appended to the said rules for serials number 1 and 2 the following shall be substituted, namely :-

"1. Original Works	(a)	work costing upto ₹1.50 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Takniki Sahayak
	(b)	work costing more than ₹1.50 lac and upto ₹5.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Junior Engineer
	(c)	work costing more than ₹5.00 lac and upto ₹10.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Assistant Engineer
	(d)	work costing more than ₹10.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Executive Engineer
	(e)	work costing upto ₹5.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Junior Engineer
	(f)	work costing more than ₹5.00 lac and upto ₹10.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Assistant Engineer
	(g)	work costing more than ₹10.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Executive Engineer
	(h)	work costing upto ₹10.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Assistant Engineer
	(i)	work costing more than ₹10.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Executive Engineer
2. Repair/ Maintenance	(a)	work costing upto ₹50,000 to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Takniki Sahayak
	(b)	work costing more than ₹50,000 and upto ₹1.50 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Junior Engineer
	(c)	work costing more than ₹1.50 lac and upto ₹3.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Assistant Engineer
	(d)	work costing more than ₹3.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Executive Engineer
	(e)	work costing upto ₹1.50 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Junior Engineer

(f)	work costing more than ₹1.50 lac and upto ₹3.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Assistant Engineer
(g)	work costing more than ₹3.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Executive Engineer
(h)	work costing upto ₹3.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Assistant Engineer
(i)	work costing more than ₹3.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Executive Engineer.".

By Order
Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.PCH-HA(1)7/2008-45164-268 Shimla-9, dated the 26th March, 2011.

Copy for information and necessary action forwarded to:-

1. All the Deputy Commission, Himachal Pradesh.
2. All District Panchayat Officers in Himachal Pradesh.
3. All Block Development Officer in Himachal Pradesh.
4. Principal, Panchayati Raj Training Institute, Baijnath & Mashobra.
5. Controller, Printing and Stationary Department, H.P. Shimla-171005 for publication in Rajpatra.

Special Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh.